

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :- 14-12-2021

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत अंतिम प्रकाशन के पूर्व त्रुटि निवारण के लिए ध्यान देने योग्य बातों के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब तक जिन ग्रामों के अधिकार अभिलेख का अंतिम एवं प्रारूप प्रकाशन किया गया है, उनके ऑनलाईन अनुश्रवण से स्पष्ट हुआ है कि शिविर प्रभारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से संधारित की गई प्रविष्टियों के सही ढंग से अनुश्रवण नहीं किए जाने जाने से कुछ त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही हैं, जिनका ससमय निवारण किया जाना आवश्यक है, इनमें कुछ का विवरण निम्नवत है:-

1. अगर खाता संख्या उपलब्ध है तो प्रविष्टि करते समय नये या पुराने खाता संख्या के आगे शून्य लगाया जाना गलत है।
2. खाता संख्या के साथ अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना है, जैसे 1 अंश 2 अंश अर्थात् अंश निर्धारित किया जाना गलत है।
3. अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख Land Parcel Code के साथ आता है, अगर प्रपत्र-6 की इंट्री में सभी Dropdown सेलेक्ट नहीं किया गया है तो ऐसे खेसरे का L.P.M जेनरेट नहीं होगा और न ही L.P.M Code जेनरेट होगा।
4. खेसरा के संबंध में धारण का प्रकार, जाति भौतिक विवरणी, भूमि का वर्गीकरण, नवयैत, वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप एवं पार्सल यूनिट में Dropdown में Selection अनिवार्य है।
5. अगर एक रैयत के एक से ज्यादा खेसरा एक गांव में है, जैसे-7, 12, 13 तो ऐसे में अगर पहले खेसरा 7 की इंट्री प्रपत्र 6 में होती है तो कोई Reference खेसरा की प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

इन त्रुटियों के अवलोकन एवं निराकरण हेतु निदेशालय के आई0टी0 सेल द्वारा "बन्दोबस्त पदाधिकारियों/शिविर प्रभारी के ध्यान देने योग्य बातें" संबंधी दिशा निर्देश तैयार किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से संलग्न दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि त्रुटिरहित अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन किया जा सके। इस संबंध में किसी तरह की समस्या के निवारण के संबंध में आई0 टी0 सेल से संपर्क किया जा सकता है।

अनुलग्नक : संचोक्त

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0 (3) विविध (स्पष्टीकरण)-17/2021.....⁴⁴⁴⁹ पटना, दिनांक 14-12-2021
प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/एल0आई0एस0 सलाहकार/प्रभारी, वि
सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0 (3) विविध (स्पष्टीकरण)-17/2021.....⁴⁴⁴⁹ पटना, दिनांक 14-12-2021
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को
सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0 (3) विविध (स्पष्टीकरण)-17/2021.....⁴⁴⁴⁹ पटना, दिनांक 14-12-2021
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव
को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

अमीन द्वारा प्रपत्र-6 की एंटी के समय अथवा एंटी के उपरांत "बंदोबस्त
पदाधिकारी / शिविर प्रभारी" के ध्यान देने योग्य बातें

Directorate of Land Records & Survey

WRONG ENTRY TYPE-1

जिला: रोहतपुर 26	अंचल: घाटकुमुमभा 1	मीना: Faridpur	इतका: 1	खता नं०: 205
क. संख्या (1 से 9) अन्य हिस्सेदार हैं? चौदही (क. संख्या-9-11) क. संख्या-12 से आगे				
नया खेसरा सं०*		Ref Khesra No	धारण का प्रकार*	धारण का प्रकार चुनें--
रैपत का नाम*		रिवा का नाम	पुराना खेसरा सं०	जोड़े
आधार नं०		रैपत का नाम अंग्रेजी में आधार के अनुसार	पुराना खाता सं०	
घता*	Address Line 1			
जति	Address Line 1	Gender		
रकबा*	एकड़	डेसीमल	मोबाइल नं०	

- अगर खाता संख्या उपलब्ध है तो दर्ज करते समय कभी भी नए या पुराने खाता संख्या के आगे शून्य नहीं लगाएं।
- खाता संख्या के साथ कोई भी अन्य शब्द का प्रयोग ना करें जैसे की "- 2 अंश "।
- अगर आपने ऐसा किया तो प्रविष्टि गलत हो जाएगी और भविष्य में कभी भी इस खसरे का LPM SHOW नहीं होगा।

प्रपत्र-6 के रिपोर्ट में कैसे चेक करें टाइप-1 ERROR

की

Report ID	Report Name	Status	Other Info
20/11/2023_14_22	संशोधन रिपोर्ट विकास विकास विकास विकास विकास	अंश	अंश
20/11/2023_14_22	संशोधन रिपोर्ट विकास विकास विकास विकास विकास	अंश	अंश
20/11/2023_14_22	संशोधन रिपोर्ट विकास विकास विकास विकास विकास	अंश	अंश

प्रपत्र-6 के रिपोर्ट में पुराना खाता के साथ "अंश" शब्द देखें | ऐसी सभी प्रविष्टि पर करवाई की जा सकती है | इसे आगे के प्रपत्र में जाने से पहले संसोधित करवायें |

WRONG ENTRY RELATED LAND PARCEL ID

जिला : 26 SHEIKHPURA, अनुमंडल : 01 शेखपुरा, अंचल : 01 Ghat Kusumbha, मौजा : 0011 Dumri(207), Type : SS SS, Sheet : 00 00

SS- Survey Sheet, SS-District Code, @@-Subdivision Code,
##-Circle Code, ****-villageCode, &&-RT Ward No., %%-Sheet No.
Bhucode- " SSSS@##*****&&%% ".

BhuId Report

Unique BhuId	BhuCode	PlotNo
85871322522283	SS260101001120700	1
85871672522350	SS260101001120700	2
85871632522318	SS260101001120700	3
85871602522293	SS260101001120700	4
85872112522291	SS260101001120700	5
85872122522338	SS260101001120700	6
85872682522355	SS260101001120700	7
85872682522308	SS260101001120700	8
85873192522305	SS260101001120700	9
85873192522344	SS260101001120700	10
85873392522317	SS260101001120700	11
85873652522280	SS260101001120700	12

LAND PARCEL CODES

अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख "LAND PARCEL CODE" के साथ आता है | अगर प्रपत्र-6 की एंटी में सभी DROPDOWN सेलेक्ट नहीं किया गया होगा तो ऐसे खसरे का ना तो LPM GENERATE होगा ना ही "LAND PARCEL CODE" GENERATE होगा |

SELECT ALL DROPDOWN PROPERLY ACCORDING TO NATURE OF KHESRA :-

धारण का प्रकार *	~~धारण का प्रकार चुनें~~
जाति	~~ जाति चुनें ~~~
भौतिक विवरण चुनें	~~भौतिक विवरण चुनें~~
भूमि का वर्गीकरण *	~~ भूमि का प्रकार चुनें ~~~
नवैयत *	~~ नवैयत चुनें ~~~
वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप	<input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> परती <input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औद्योगिक/अन्य
पार्सल यूनिट	कृषि
	फसला सिंचित

उपर वर्णित सभी DROPDOWN में SELECTION अनिवार्य है। किसी खेसरा में अगर आप DROPDOWN की VALUE को लेकर कोई भी संदेह है तो बंदोबस्त पदाधिकारी एवं DIRECTORATE लेवल नोडल अधिकारी से CLEAR कर लें।

प्रपत्र-6 के एंटी में REFERENCE KHESRA नहीं डालने के गलत परिणाम :-

क्र. संख्या : 25 अंतः : प्रपत्र-6 भाग : 205
 प्रपत्र-6 के एंटी में REFERENCE KHESRA नहीं डालने के गलत परिणाम :-

अन्य विकल्प है : संपूर्ण (संख्या : 1) अ संख्या : 13 के अंतः

नया खेसरा सं. : 1 Ref Khesra No :
 खेसरा का नाम : सूरज कुमार खेसरा का प्रकार :
 खेसरा का नाम और एंटी में :
 पता : Sagona Mora खेसरा का नाम :
 जमीन (एकर) : Gender : खेसरा का प्रकार :
 एकर : 0.22 मोबाइल नं. : 8999556666
 रकबा : 0

Note : अगर रकबा 1 एकर 25 डेसीमल है तो इस्का एंटी करें : एकर में 1 और डेसीमल में 25 या 25.0 | अगर रकबा 5 या 5.0 | अगर रकबा 1 एकर 50 डेसीमल है तो इस्का एंटी करें : एकर में 1 और डेसीमल में 50 या 50.0 |

Save Next >

क्र. संख्या : 25 अंतः : प्रपत्र-6 भाग : 205

अन्य विकल्प है : संपूर्ण (संख्या : 1) अ संख्या : 13 के अंतः

नया खेसरा सं. : 7 Ref Khesra No : 7
 खेसरा का नाम : सूरज कुमार खेसरा का प्रकार :
 खेसरा का नाम और एंटी में :
 पता : Sagona Mora खेसरा का नाम :
 जमीन (एकर) : Gender : खेसरा का प्रकार :
 एकर : 0.22 मोबाइल नं. : 8999556666
 रकबा : 0

Note : अगर रकबा 1 एकर 25 डेसीमल है तो इस्का एंटी करें : एकर में 1 और डेसीमल में 25 या 25.0 | अगर रकबा 5 या 5.0 | अगर रकबा 1 एकर 50 डेसीमल है तो इस्का एंटी करें : एकर में 1 और डेसीमल में 50 या 50.0 |

Save Next >

अगर एक ही रैयत के एक से ज्यादा खेसरा/प्लॉट एक गाँव में हो जैसे की खेसरा संख्या-7 , 12 , 13 , तो ऐसे में अगर पहले खसरे, 7 की एंटी प्रपत्र-6 में होती है तो कोई REFERENCE KHESRA नहीं डालना पड़ेगा , परन्तु अन्य खेसरा(12 , 13) की एंटी के समय REFERENCE खेसरा में 7 डालना होगा ।

प्रपत्र-6 के एंटी में REFERENCE KHESRA नहीं डालने के गलत परिणाम :-

अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राजस्व ग्राम राजस्व धाना संख्या 61 के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को एतद द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम सजुआ जागीरदारी(61) राजस्व धाना सं० 61 की भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।

राजस्व ग्राम: सजुआ जागीरदारी(61) (889)		रे० धाना सं० 61		पुलिस धाना:		अंचल: Amarganj		जिला: MUNGER					
खतियान का क्रम संख्या	खता संख्या	रेयत का नाम (एक से अधिक रेयतों द्वारा हिस्से धारित करने के मामले में हिस्सा के अनुसार रेयतों का नाम), पिता/पति का नाम, जाती एवं निवास	खोसरा नंबर	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन खेती योग्य भूमि			खेती हेतु अवोग्य रकबा	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य	12	13	14
1	1	अनाबाद सर्वसाधारण (गैरमजरूआ आम) विता: जाति: None पता: खुशबू देवी पता: निज ग्राम	6	ए०: 0 डी०: 1.9	उ. योगेन्द्र बगेरह द. राकेश कुमार चौ सखन कुमार पू. रास्ता मसुदनपुर प. कोरियन मौजा	सड़क/रेल/सार्वजनिक उपयोग की भूमि	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 1.9	ए०: 0 डी०: 1.9	0.9	
2	7	खुशबू देवी पता: निज ग्राम	7	ए०: 0 डी०: 4	उ. सड़क द. बबलू यादव पू. रास्ता मसुदनपुर प. सखन यादव	वास्गीत/आवासीय	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 4	ए०: 0 डी०: 4	4	अभ्युक्ति: मो० नं०: 887101775
3	8	खुशबू देवी पता: निज ग्राम	10	ए०: 0 डी०: 1.9	उ. राकेश कुमार द. कोरियन मौजा प. रास्ता प. रंगलाल यादव	वास्गीत/आवासीय	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 0	ए०: 0 डी०: 1.9	ए०: 0 डी०: 1.9	1.9	अभ्युक्ति: मो० नं०: 887101775

EXAMPLE:- एक ही रेयत(खुशबू देवी) के 2 प्लॉट एक ही मौजा में थे, लेकिन दूसरे प्लॉट की एंटी के समय REFERENCE KHESRA नहीं डाला गया जिसके परिणाम स्वरूप प्रपत्र-20 में न्यू खाता संख्या अलग अलग हो जाएगी जैसा की रिपोर्ट में - खाता संख्या 7,8 दिख रहा है।

“क्र.संख्या-12 से आगे TAB में फसल के अंतर्गत” में VALUE डालना आवश्यक है
 :-

फसल के अंतर्गत	एकड़	डेसीमल
रकबा		
भदई		
अगहनी		
रब्बी		
अन्य फसल		
कृषि योग्य		
कृषि हेतु अपयोग्य		

रिपोर्ट रिव्यू के दौरान निदेशालय स्तर पर पाया गया है की "फसल के अंतर्गत दिए गए " PARAMETERS में "एकड़ या डेसीमल "में कुछ भी भरा नहीं जा रहा है। (भदई,अगहनी,रब्बी,अन्य फसल,कृषि योग्य,कृषि हेतु अपयोग्य) किसी भी एक या एक से अधिक पैरामीटर में VALUE डालना अनिवार्य है ।